

18/10/2023

पत्रावली पेश हुई वकील आर्षी उप.। पैरोडार सरकार द्वारा  
पत्रावली में जवाब समयमय मौख रिपोर्ट पेश की जिससे  
स्पष्ट गति वकील आर्षी को हिलवायी जाकर आरामि. किया  
गया। पत्रावली वास्ते आराम. नियत की जाती है।  
पत्रावली में वकील आर्षी तथा पैरोडार सरकार द्वारा  
आराम. आ.प.प. धारा 251A आराम. निवेदन किया  
गया। आराम. शुभय पक्षकार 251A आराम. रूनी  
गई। पत्रावली फिनाई 31/10/23 से वास्ते आराम.  
केश दी।

उपखण्ड अधिकार  
विनाय (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-केकड़ी(राज0)

प्रकरण संख्या- 111 / 2024

बनाम

अन्तर्गत धारा:-

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

31/10/23

फावली पेश हुयी फावली मे वकील शाबी तषा परोक्षर सरक्षर  
उप। फावली वास्ते आदेश धारा 251A पता बाबल नियह है।  
फावली तषा उपलब्ध दस्तावेज मय जकाब मय मौडा रिपोर्ट  
करकार का अवलोकन किया गया। व इस समय पक्षकार पर  
मनन ~~करवाया~~ किया गया। व शाबी द्वारा ख.नं. 509  
गौ.मू. रास्ता से ख.नं. सिवामचक 511 मे से शाबी की  
खालेदारी आराजी ख.नं. 500 तक रास्ता चला गया है।  
तहसीलदार मिनाय से प्राप्त जकाब मय मौडा रिपोर्ट का अवलोकन  
पर सामान्य कि शाबी द्वारा केवल ख.नं. 511 से ही रास्ता  
चला गया है जो कि शाबी की खालेदारी आराजी ~~ख.नं.~~  
500 तक का अकर ख.नं. 499 तक ही समाप्त हो जाता है।  
ख.नं. 511 तषा शाबी की खालेदारी आराजी 500 के मध्य ख.नं.  
499 स्थित है। जिससे शाबी द्वारा रास्ते की मांगे नहीं की गई है  
युक्ति उस्ताचित रास्ता शाबी की खालेदारी आराजी तक नहीं  
पहुंच पा रहा है अतः शाबी द्वारा प्रस्तुत शाबीनाफा धारा  
251A पता अनुलोप योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है  
फावली फेवल 12 मार है। मम्बर से 12 दिसर के दखिल दफ्तर है।  
निर्णय आज दिनांक 31/10/23 को करे इजलास  
शुजाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
मिनाय (अजमेर)